

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 36 / 2025
दायर दिनांक : 03 / 06 / 2025
निर्णय दिनांक : 18 / 06 / 2025

उनवान

1. गोपाललाल पुत्र बालूराम भांवी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. मीनाकुमारी पुत्री बालूराम भांवी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. वरजू पत्नी स्व. बालूराम भांवी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
4. सम्पत पुत्र बालूराम भांवी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र सोयाराम जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. सोसर पत्नी वेणीराम जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. राधेश्याम पिता किशोर गर्ग निवासी बस स्टेण्ड, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भू.अ.निरीक्षक भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम रावतिया के खाता सं. 200 की हाल आ.सं. 549 रकबा 0.85 है। भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

